न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

सुरेश चौधरी
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
23 / 2019 / प्रा.पत्र / 2019	01.05.2019	04.07.2024

मदन लाल गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक

............प्रार्थी

बनाम

1–श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक निवासी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पिन कोड– 304502

2–मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक। पिनकोड–304502

3–श्री रूपचन्द पुत्र श्री कन्हैयालाल प्रोपराईटर मैसर्स गोरधन लाल कन्हैया जागड ख्वासजी का कटला मालपुरा जिला टोंक राज0 पिनकोड–304502

4–मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जागड ख्वासजी का कटला मालपुरा जिला टोंक राज0 पिनकोड–304502

............अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (ii) एवं एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार।

2–अप्रार्थीगण की ओर से श्री विक्रम जैन अभिभाषक उपस्थित।

:–निर्णय–:

दिनांक 04.07.2024

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.10.2018 को समय 04.29 पीएम पर मैसर्स कमल एण्ड कम्पनी महावीर मार्ग मालपुरा जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर विक्रेता की हैसियत से श्री ज्ञानचन्द जैन पुत्र श्री अमोलक चन्द जैन अपने प्रतिष्ठान पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री ज्ञानचन्द जैन ने स्वयं को प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया तथा खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में अन्य खादय पदार्थों के साथ **रिफाईण्ड आयोडाईज्ड नमक फॉर्चून प्लस पॉली पैक (Refined Iodised Salt Fortune Plus Poly Pack)** जिसके बेच नं. 11 एवं पैकिंग दिनांक 11/2017 थी, 1–1 किलोग्राम के 50 नग रखे हुए थे, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

अधिनियम 2006 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर विक्रेता श्री ज्ञानचन्द जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना जांच क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रशीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता श्री ज्ञानचन्द जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा 1–1 किलोग्राम के 4 पैक वास्ते नमूना जांच खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **रिफाईण्ड आयोडाईज्ड नमक फॉर्चून प्लस पॉली पैक (Refined Iodised Salt Fortune Plus Poly Pack)** 1–1 किलोग्राम के 4 पैक में से प्रत्येक को चार साफ व सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में रखकर नियमानुसार अच्छी तरह एयर टाईट बन्द कर, नियमानुसार चार भाग तैयार कर एवं प्रत्येक लेबलों पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1993 दर्ज कर, विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1993 नीचे से ऊपर तक गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

विक्रेता श्री ज्ञानचन्द जैन ने मौके पर बतौर वारन्टी मैसर्स गोरधन लाल कन्हैयालाल जागड ख्वासजी का कटला मालपुरा जिला टोंक का बिल पेश कर उक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./18/3139 दिनांक 14.12.2018 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं. एल.एस./1849/एक्ट/2018/539 दिनांक 30.11.2018 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया **रिफाईण्ड आयोडाईज्ड नमक फॉर्चून प्लस पॉली पैक (Refined Iodised Salt Fortune Plus Poly Pack)** एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन करने के कारण **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेताओं के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री विक्रम जैन अभिभाषक उपस्थित हुए एवं निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है तथा इसके लेबल पर भी सभी आवश्यक जानकारियां अंकित हैं, खाद्य पदार्थ में किसी तरह की

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

मिलावट नहीं की गई है, साथ ही निवेदन किया कि अप्रार्थी सं. 3 व 4 श्री रूपचन्द जामड की मृत्यु दिनांक 04.01.2021 को हो चुकी है जिसके मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश है। अतः अप्रार्थी संख्या 3 व 4 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करते हुए प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावे।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **रिफाईण्ड आयोडाईज्ड नमक फॉर्चून प्लस पॉली पैक (Refined Iodised Salt Fortune Plus Poly Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह एफ.एस.एस.ए की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लघंन करने के कारण वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे तथा अप्रार्थी सं. 3 व 4 की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने में सहमति प्रदान की।

हमने अभिभाषक अप्रार्थीगण एवं पेरोकार सरकार की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण के पास से लिया गया **रिफाईण्ड आयोडाईज्ड नमक फॉर्चून प्लस पॉली पैक (Refined Iodised Salt Fortune Plus Poly Pack)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 25,000/– (अक्षरे पच्चीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है एवं अप्रार्थी सं. 3 व 4 की मृत्यु हो जाने से उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 04.07.2024 से एक माह के अन्दर अनिवार्य रूप से जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 04.07.2024 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(सुरेश चौधरी)
न्यायाधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0